

दिनांक

आज्ञा पत्र

30-1-20

पत्रावली पेश। फर्जत दर्ज की जाती है।
कि आगामी तिथि से पूर्व तलबी नोटिस के
रजिस्टर्ड नोटिस पेश करने अनिवार्य है। तिथि पर
आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत एपीएल खारिज
कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्रस्तुत शामिल पत्रावली
रहे / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक
12-2-20 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि
स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।



12-2-20

बार-बार आवाज दिलाई गई।
कमिश्नर एवं कमिश्नर के वकील
कोई होजेर नहीं कोस। अतः
अदम होजरी एवं अदम प्रेरक
साक्षित होने से इन्फिल स्वायत्त
की जाती है।

पत्रावली बाद तस्वीर
तकमादा शोरवल दफ्तर है।

निर्णय सुनाया गया।

Ans

पू.प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजकाश अपील अधिकारी
कर

